भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3252
(जिसका उत्तर सोमवार, 09 दिसंबर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया गया)

आईईपीएफए नियमों में संशोधन

3252. श्री एम॰वी॰वी॰ सत्यनारायणः
श्री तालारी रंगैय्याः
श्री रघु राम कृष्ण राजूः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, संपरीक्षा अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 में और अधिक संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और वर्ष 2016 से लेकर अब तक सरकार द्वारा क्या प्रमुख कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): जी, हां। विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (प्राधिकरण) में फाइल किए गए प्रतिदाय दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि (लेखांकन, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 में दिनांक 14.08.2019 की सा.का.नि.सं.571(अ) द्वारा संशोधित किए गए हैं। संशोधित नियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा दावों की पारदर्शी और निष्पक्ष डिजीटलीकरण प्रक्रिया की व्यवस्था है। कंपनियों द्वारा अनुपालन को समयबद्ध और नियम आधारित प्रवर्तन के साथ तंत्र संचालित बनाया गया है।
(ग): विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा को बढावा देने और अधिनियम के वर्तमान उपबंधों के अनुसार दावों का प्रतिदाय करने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 125 के अधीन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। पिछले 3 वर्षों के दौरान, निवेशकों में जागरुकता लाने के उद्देश्य से कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन व्यावसायिक संस्थानों और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ई-गवर्नेंस सर्विसिज इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 35,000 से अधिक निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों (आईएपीएस) का आयोजन किया गया है। जागरुकता सृजित करने वाले संदेशों को भी समय-समय पर प्रिंट और इलेक्ट्रानिकी मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। प्राधिकरण ने भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और उपभोक्ता मामले विभाग के सहयोग से निवेशक जागरुकता हेतु संयुक्त अभियान चलाया। प्राधिकरण ने विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा के उद्देश्य के लिए दूरसंचार विभाग, भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान और नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ भी सहयोग किया है।

****